>

Title: Need to take steps to provide reservation of jobs in private sector and fill up the vacant posts meant for SCs and STs.

डॉ. किरोड़ी लाल मीणा (दौसा): अनुसूचित जाति/ जनजाति वर्ग को निजी क्षेत्र में आरक्षण, खाली पदों पर भर्ती , विशेष भर्ती आरक्षण के संबंध में सरकार ने अभी तक अपेक्षित कदम नहीं उठाये हैं । आरक्षण कानून आदि के लिए अनुसूचित जाति/ जनजाति संगठनों द्वारा जंतर-मंतर नई दिल्ली पर धरना दिया गया । अब तक दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक एवं तमिलनाडु सहित तमाम अन्य प्रदेशों एवं अनुसूचित जाति/ जनजाति संगठनों की ओर से बारी-बारी से धरना दिया जा चुका है और आने वाले दिनों में जम्मू एवं कश्मीर, पंजाब, छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, आंध्रप्रदेश, उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र एवं झारखंड की ओर से धरना दिया जायेगा ।

यूपीए सरकार ने अपने पूर्व कार्यकाल में आरक्षण कानून बनाने के लिए संसद में बिल पेदश किया था, जो पास न हो सका और उसे वापिस ले लिया । निजी क्षेत्र में भी आरक्षण देने के लिए मंत्रियों की एक समिति बनी थी और देश के बड़े कारोबारियों के संगठन जैसे कंफेडरेशन ऑफ इण्डियन इण्डस्ट्रीज एवं फिक्की आदि ने अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति को कुछ भगीदारी देने के लिए कदम उठाए थे किन्तु अभी तक अपेक्षित परिणाम सामने नहीं आये हैं । यूपीए का अब दूसरा कार्यकाल शूरू हुआ है और अभी तक निजी क्षेत्र में आरक्षण लागू किए जाने के कोइ सकारात्मक संकेत नहीं मिले हैं ।

अतः आग्रह है कि निजी क्षेत्रों में आरक्षण लागू करने के लिए बिल पेश किया जाये एवं विशेष अभियान चलाकर खाली पदों को भरा जाये । जिससे अनुसूचित जाति/ जनजाति में व्याप्त असंतोष एवं आक्रोश को शांत किया जा सके एवं उनका कल्याण हो सके ।

...(*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: The House stands adjourned to meet again tomorrow, November 24, 2011, at 11 a.m.

12.02 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock

on Thursday, November 24, 2011/Agrahayana 3, 1933 (Saka).

* Not recorded.